कार्यालय --प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश ,भोपाल

क्रमॉक/ संरक्षण/कक्ष–4/ 1247 /भोपाल : दिनांक 20/8/02

प्रति

समस्त वन संरक्षक

(क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश, ।

विषय :–अग्नि सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ:–इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक/कक्ष–4/285 दिनांक 12–2–2001

क्रमॉक/कक्ष–4/ 922 दिनांक 18–6–2002

संदर्भित पत्र दिनांक 18–6–2002 द्वारा आवंटित बजट मद मांग संख्या 10–2406 (0101) राज्य आयोजना (सामान्य) 2965 बिगड़े वनों का सुधार बॉस वनों सहित 004 अग्नि बचाव योजना के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/संरक्षण/कक्ष–4/1088 दिनांक 12–7–2002 से बजट आवंटन निरस्त किया जा चुका है । संशोधित बजट आवंटन संलग्न है ।

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे । संदर्भ क्रमॉक 1 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–2001 हेतु अग्नि सुरक्षा मद के अन्तर्गत बजट आवंटन करते हुये इस राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये थेएवं संदर्भ क्रमॉक 2 के माध्यम से इन निर्देशों में कतिपय संशोधन किया गया था । कालान्तर में क्षेत्रीय अधिकारियों से चर्चा में यह पाया गया कि इन निर्देशों के पालन में कतिपय कठिनाईयॉ हैं इसके कुछ अंश व्यवहारिक नहीं है । अतः उपरोक्त संदर्भो व्दारा दिये गये निर्देशों को निरस्त करते हुये अग्नि सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के उपयोग के लिये निम्नानुसार एकजाई एवं संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1– वन मण्डलाधिकारी अपने क्षेत्र के वनों की सुरक्षा योजना तैयार कर वन संरक्षक से अनुमोदित करायेगें । यह योजना कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरुप तथा क्षेत्रीय परिस्थितियां के आधार पर तैयार की जावेगी ।

2– अग्नि सुरक्षा कार्य समितियों के माध्यम से कराय जावे । जहॉ समिति नहीं हैं अथवा समिति अग्नि सुरक्षा कार्य करने को तैयार नहीं होती , वहॉ अग्नि सुरक्षा कार्य विभागीय रुप से कराये जायें ।

3 आपको आवंटित राशि आपके वृत के वन क्षेत्र के रकबे के आधार पर दी गई है वन संरक्षक द्वारा अपने वृत्त में उन्हें आवंटित राशि का आवंटन प्रभार के क्षेत्रीय वनमण्डलों हेतु निम्न आधार पर किया जावेगा:–

3.1 आवंटित राशि में से 10 प्रतिशत राशि वन मण्डल स्तर पर रोक कर वन मण्डल स्तर पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर किये जाने वाले व्यय में उपयोग की जावेगी । कृपया टीप करें कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18–6–2002 में यह राशि 25 प्रतिशत बताई गई थी अतः इस संशोधन को विशेष तौर पर ध्यान रखें ।

3.2 आवंटित राशि में से 2 प्रतिशत राशि प्रचार – प्रसार व अन्य कार्य हेतु रोकी जावेगी जिसका उपयोग वनमण्डलाधिकारी व्दारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जनता में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता लाने के लिये किया जावेगा ।

3.3 इस मद में उपलब्ध राशि में से 3% राशि प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास हेतु मुख्यालय स्तर पर रोकी जा रही है । एवं इसका आवंटन आपके प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) व्दारा आपकी मॉग पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये किया जावेगा । कृपया यह राशि प्राप्त करने के लिये आप उन्हें उनके निर्देशानुसार प्रस्ताव तैयार कर भेजें ।

3.4 विभिन्न वनमण्डलों को राशि का आवंटन उनके वन क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा । किन्तु विशेष संवेदनशील क्षेत्रों एवं घने वनों को आवंटन में प्राथमिकता दी जावे ।

3.5 क्षेत्रीय वृत्तों में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावे । इन क्षेत्रों को आवंटित सामान्य वनक्षेत्रों की तुलना में दुगनी दर से किया जावे । इन क्षेत्रों के लिये आपके व्दारा किये गये आवंटन की जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) कार्यालय को दिनांक 31-7-02 के पूर्व अनिवार्यतः भेजी जावे ।

3.6 कार्य आयोजना के अनुसार पत्थर की कटाई व सफाई का कार्य विभागीय कर्मचारियों व्दारा समिति के माध्यम से कराया जाय तथा वन संरक्षक व्दारा अनुमोदित जाबदर से भुगतान समिति को किया जाय ।

3.7 शेष राशि समितियों को अग्नि सुरक्षा करने तथा प्रोत्साहन राशि के रुप में दी जावेगी । इस राशि का भुगतान समिति को अग्नि सीजन की समाप्ति उपरांत किया जावेगा यह भुगतान वनमण्डलाधिकारी व्दारा यह संतोष हो जाने के उपरांत

ही किया जावेगा कि समिति के वन क्षेत्र में आग नहीं लगी है और यदि लगी है तो समिति व्दारा इस संबंध में पूरी सावधानी बरती गई है तथा आग लगने पर उसे बुझाने का त्वरित पूरा प्रयास किया गया है। पिछले अग्नि सीजन के संबंध में इस राशि का भुगतान अब किया जा सकता है एवं आगामी सीजन (वर्ष 2003) का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के आवंटन में से किया जावेगा ।

3.8 समितियों को दी गई राशि के लेखा के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबन्धन) व्दारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

वनों में आग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण महुआ सीजन में वृक्षों के नीचे पत्तों को जलाना होता है । इस हेतु योजना बनाई जावे और वनों के बाहर व वन क्षेत्र के अन्दर महुआ के वृक्षों के नीचे पत्तों को साफ करवाने का अभियान चलाया जाये । कतिपय वनमण्डलों द्वारा महुआ के वृक्ष हितग्राहीयों में आवंटित कर अग्नि सुरक्षा की गई जिसके उत्साहवर्धक परिणाम देखे गये हैं । आप लोग भी ऐसी व्यवस्था पर विचार करें ।

5 वनों की आग से सुरक्षा , वनों के संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । अतः इस कार्य को पूरी निष्ठा से अंजाम दिया जाये और इसमें वायरलेस और अन्य सभी साधनों का भरपूर उपयोग किया जाये ।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय । कृपया ध्यान रहे कि आपको पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाये जाने के बाबजूद भी यदि वनों की अग्नि से हानि होती है तो प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये गंभीर परिणाम होगें ।

संलग्नः–बजट आवंटन

16/8/2002

मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश

पृ0क0/कक्ष–4/ 1248 /भोपाल :दिनांक 20/8/02

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । आपको बजट मद मांग संख्या 10–2406–0101–(2965)बिगड़े वनों का सुधार बॉस वनों सहित 004 अग्नि बचाव योजना के अन्तर्गत रुपये 36.00 लाख का आवंटन अग्नि सुरक्षा से संबंध्द प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये इस कार्यालय के पत्र कमांक/कक्ष–4/1188 दिनांक 3–8–02 द्वारा उपलब्ध करवाया गया है । कृपया व्यय की प्रगति से प्रत्येक माह सूचित करने का कष्ट करें ।

3– मुख्य वन संरक्षक (विकास) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

[signature] 19/8/02

मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश

JBP	1080
Katni	1650
Dindori	3350
KKM	2300
SM	2000
Buffer 3 wks	600
	10980

शासकीय वाहनों का आवंटन/मरम्मत के अधिकार
(ALLOTMENT OF GOVT. VEHICLES AND POWER OF THEIR REPAIRS)

1. आवंटन

शासकीय वाहनों का दुरुपयोग रोकने हेतु म. प्र. शासन, परिवहन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 22-61-82/आठ, दिनांक 31-1-1983 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये थे कि शासकीय वाहन अधिकारियों के नाम से आवंटित किये जाय। चूंकि वाहनों का उपयोग निजी कार्य के लिये भी होता है इसके बदले अधिकारी के वेतन से निम्न दर से राशि काट कर विभाग के आय शीर्ष में जमा की जावे :—

1. एक लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों में — रु. 250/- प्र मा.
2. एक लाख से कम आबादी वाले शहरों या गांवों में — रु. 150/- प्र मा.

उपरोक्त दरें म.प्र. शासन, परिवहन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-22-157/99/आठ, दिनांक 31-12-99 द्वारा संशोधित की गई तथा दिनांक 1 जनवरी, 2000 से लागू। [परिपत्र की कंडिका 5]

2. मुख्यालय पर उपयोग करने के लिये उक्त शासकीय अधिकारी अपने आवंटित वाहनों में शासकीय व्यय पर निम्न मात्रा में प्रतिमाह पेट्रोल/डीजल भरवा सकेंगे। इस सीमा से अधिक व्यय होने की स्थिति में अधिक खर्च स्वयं वहन करेंगे। मुख्यालय के बाहर यात्रा करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के मुख्यालय कार्य हेतु नियत की गई पेट्रोल/डीजल/आईल की सीमा में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 3 लीटर प्रतिदिन व इससे कम आबादी वाले शहरों या कस्बों में 2 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से कमी की जा सकेगी। इसमें दौरे पर जाने व वापसी आने का दिन गणना में नहीं लिया जायेगा।

प्रभावशील दिनांक 31-1-84 से	एक लाख व इससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिये (लीटर में) (1)	एक लाख से कम आबादी वाले शहरों या ग्रामों के लिये (लीटर में) (2)	स्टाफ कार/ पूल की समस्त वाहनों के लिये (लीटर में) (3)
पेट्रोल	120	80	120*
डीजल	95	65	110*

उपरोक्त मात्रा केवल मुख्यालय पर वाहन के उपयोग के लिये है। वाहन का उपयोग जब मुख्यालय से बाहर शासकीय यात्रा के लिये किया जाये तब मुख्यालय पर मिलने वाली मात्रा में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 3 लीटर की दर से तथा इससे कम आबादी वाले शहरों/ग्रामों

* यह संशोधित सीमा दिनांक 1-9-2000 से लागू। (परिवहन विभाग आदेश क्रमांक एफ-22-31-2000/आठ, दिनांक 10-8-2000)